कार्यालय निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/19451/पोर्टल मॉनीटरिंग/2016–17/ दिनांकः 10/04/19

1– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला

2– जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारंभिक शिक्षा समस्त

विषयः– प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के परीक्षा परिणाम की शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के आदेश की अनुपालना में प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन तैयार करने एवं प्रदर्शित किये जाने के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर परिणाम प्रविष्टि हेतु ऑनलाईन मॉड्यूल उपलब्ध करवाकर विद्यालय स्तर से परिणाम की प्रविष्टि हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर स्तर से समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों के क्रम में लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की ऑनलाईन प्रविष्टि के क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करावें:–

1– **सत्र 2018–19 हेतु कक्षा– 6 एवं 7 की शाला दर्पण पोर्टल से जेनरेटेड ऑनलाईन अंकतालिका ही मान्य होगी** जो शाला दर्पण पोर्टल से प्रिंट लेने के उपरांत संस्था प्रधान के प्रमाणीकरण उपरांत जारी की जावेगी। अतः जिन विद्यालयों द्वारा अब तक वार्षिक परीक्षा से पूर्व तक की परीक्षाओं के प्राप्तांकों की ऑनलाईन प्रविष्टि का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, उन्हें इस हेतु पाबन्द करते हुए अविलम्ब प्रविष्टि पूर्ण करावें।

2– वार्षिक परीक्षा तक के समस्त प्राप्तांकों की प्रविष्टि उपरान्त **शाला दर्पण पोर्टल से ग्रीन शीट डाउनलोड की जा सकेगी। डाउनलोड ग्रीन शीट का प्रिंट लेकर प्रमाणीकरण के पश्चात् विद्यालय रिकार्ड में परीक्षा परिणाम रजिस्टर के रूप संधारित की जावेगी।**

3– ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 6 से 8 तक सी.सी.ई. संचालित है, उनमें परीक्षा परिणाम की व्यवस्था पूर्व की भांति ही रहेगी।

4– कक्षा–8 के वार्षिक परीक्षा से पूर्व तक के प्राप्तांकों की भी ऑनलाईन प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक रूप से की जानी है।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/19451/पोर्टल मॉनीटरिंग/2016–17/ दिनांकः 10/04/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।

2–उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान, बीकानेर